रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

# प्रथम सूचना रिपोर्ट
## ( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2022..
   प्र. इ. रि. सं. 237/2022 दिनांक 30/8/2022
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018..धारायें...7,7ए पी.सी. एक्ट .....
   (ब) अधिनियम .....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ..... 120बी भादंसं.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....548.....समय.....2-30P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 21.07.2022/03.30 पीएम से 24.07.2022 / समय 02.00एएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 21.07.2022/03.30 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर पश्चिम दूरी लगभग 03 कि0मी0 .....
   (ब) पता–भारत फुटवेयर की दुकान बजाजा बाजार अलवर .बीट सख्या ...जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना..... जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री तरूण गांधी
   (ब) पिता का नाम श्री यशपाल गांधी ... .....
   (स) जन्म तिथि /वर्ष 41.....
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... .....
   (ल) पता....364 बापू बाजार अशोक टाकिज के पास अलवर ..... .....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1–श्री धर्मपाल तंवर पुत्र श्री छाजूराम उम्र 56 वर्ष निवासी हिन्दु पाडा अलवर हाल पार्षद वार्ड नम्बर–14 नगर परिषद अलवर।
   2–श्री दिनेश मलिक पुत्र श्री ऋषि लाल मलिक निवासी 3–के–13 मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड अलवर, दुकान मालिक भारत बूट हाउस /फुटवेयर बाजाजा बाजार अलवर (प्राईवेट व्यक्ति)
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....1,50,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग करना .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो ).....
    .....1,50,000/–रूपये रिश्वत राशि.की मांग करना .....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये )

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, ए.सी.बी. अलवर (राज.), विषयः–नगर परिषद अलवर वार्ड नं0 14 के पार्षद श्री धर्मपाल तंवर को रिश्वत लेते हुये पकडवाने के सम्बन्ध में। महोदय, निवेदन है कि–मेरी मम्मी श्रीमती शकुन्तला **W/O** यशपाल गांधी के नाम से तथा मेरे चाचा जी का मेरी चाची बिमला आहुजा **W/O** रमेशचन्द गांधी के नाम से मालन गली सिद्धिपुरा मौहल्ला वार्ड नं0 14 में अलवर नें अलग अलग बेनामों के कय शुदा 85–85 वर्ग गज का एक पुराना मकान था जो नगर परिषद, अलवर के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । उक्त मकान को तोड़कर मैंने व मेरे चाचाजी रमेश चन्द गाँधी ने वर्तमान में अपने अपने हिस्से में नया मकान बना रहे है । जिस पर वार्ड नं ० 14 के पार्षद श्री धर्मपाल तंवर हमारे उक्त प्लाट पर आया और उसने मुझे व मेरे चाचाजी से कहा कि यह मेरा क्षेत्र है और आप इसमें नगर परिषद की परमीशन के बिना नया मकान नहीं बना सकते हो अगर आपको इस पर नया मकान बनाना है तो आप दोनों को मुझे खर्चा–पानी के पैसे देने पड़ेगें, नहीं तो मैं अतिक्रमण प्रभारी से आपका सामान जब्त करवा दूंगा । मैंने व मेरे चाचाजी श्री रमेश चन्द गाँधी ने धर्मपाल पार्षद को रिश्वत के पैसे नहीं दिये तो वह नगर परिषद अलवर से अतिक्रमण दस्ते की गाडी हमारे प्लाट पर भिजवाकर हमारा सामान उठवाकर जब्त करवा दिया । इसके बाद मैं व मेरा चाचा रमेश चन्द गाँधी, पार्षद धर्मपाल तंवर से मिले तो उसने हमारे से हमारे दोनों मकानों को बनाने की एवज में दो लाख

रूपये रिश्वत की मांग की और कहा कि यदि आप दोनों मुझे रिश्वत के पैसे नही दोगे तो मैं आपके मकान नहीं बनने दूंगा और ये ऐसे ही पड़े रहेगें । मैं व मेरा चाचा श्री रमेश चन्द गाँधी नगर परिषद अलवर के भ्रष्ट पार्षद धर्मपाल तंवर को रिश्वत नहीं देना चाहते है तथा उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहते है । कृपा कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे । दिनांक 21.07.2022, प्रार्थी हस्ताक्षर तरूण गांधी पुत्र श्री यशपाल गांधी उम्र 41 साल निवासी 364 बापू बाजार अशोका टाकिज के पास अलवर, मो0नं0–9057248081, हस्ताक्षर–रमेश चन्द गांधी 21.07.2022 रमेशचन्द गांधी पुत्र श्री कर्मचन्द गांधी उम्र 65 साल निवासी 24 मानसरोवर कालौनी काला कुंआ अलवर मो0 नं0–9351655858, हस्ता. स्वतंत्र गवाह शुभम शर्मा व दीपेश सैनी दिनांक 23.07.22,

कार्यवाही पुलिसः

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 21.07.2022 को परिवादी तरूण गांधी पुत्र श्री यशपाल गांधी उम्र 41 साल निवासी 364 बापू बाजार अशोका टाकिज के पास अलवर द्वारा अपने चाचा श्री रमेशचन्द गांधी पुत्र श्री कर्मचन्द गांधी उम्र 65 साल निवासी 24 मानसरोवर कालौनी काला कुंआ अलवर के हमराह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी अलवर प्रथम पर श्री विजय सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का आवश्यक कार्यवाही हेतु मन पुलिस उप अधीक्षक के नाम मार्क शुदा दिनांक 21.07.2022 को समय 03. 30 पीएम पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ए0सी0बी0 चौकी अलवर प्रथम अलवर मय परिवादी तरूण गांधी व उसके चाचा श्री रमेश चन्द गांधी के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी अलवर द्वितीय अलवर पर मेरे समक्ष मय परिवादी तरूण गांधी व उसके चाचा श्री रमेश चन्द गांधी के उपस्थित होकर मुझे मय परिवादीगण के प्रस्तुत किया जाने पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री तरूण गांधी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी तरूण गांधी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि– मेरी मम्मी श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री यशपाल गाँधी के नाम से तथा मेरे चाचा जी का मेरी चाची बिमला आहुजा पनि श्री रमेश चन्द गाँधी के नाम से मालन की गली सिद्धीपुरा मौहल्ला वार्ड नं. 14, अलवर में अलग–अलग बयनामों के कयशुदा एक पुराना मकान 85–85 वर्गगज का था। जो नगर परिषद अलवर के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । उक्त मकान को तोड़कर मैंने व मेरे चाचाजी रमेश चन्द गाँधी ने वर्तमान में अपने–अपने हिस्से में नया मकान बना रहे है । जिस पर वार्ड नं. 14 के पार्षद श्री धर्मपाल हमारे उक्त प्लाट पर आया और उसने मुझे व मेरे चाचाजी से कहा कि यह मेरा क्षेत्र है और आप इसमें नगर परिषद की परमीशन के बिना नया मकान नहीं बना सकते हो अगर आपको इस प्लाट पर नया मकान बनाना है, तो आप दोनों को मुझे खर्चा–पानी के पैसे देने पड़ेगें, नहीं तो मैं अतिक्रमण प्रभारी से आपका सामान जब्त करवा दूंगा । मैंने व मेरे चाचाजी श्री रमेश चन्द गाँधी ने धर्मपाल पार्षद को रिश्वत के पैसे नहीं दिये तो वह नगर परिषद अलवर से अतिक्रमण दस्ते की गाडी हमारे प्लाट पर भिजवाकर हमारा सामान उठवा दिया । इसके बाद मैं व मेरा चाचा रमेश चन्द गाँधी पार्षद धर्मपाल तंवर से मिले तो उसने हमारे से हमारे दोनों मकानों को बनाने की एवज में दो लाख रूपये रिश्वत की मांग की और कहा कि यदि आप दोनों मुझे रिश्वत के पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके मकान नहीं बनने दूंगा और ये ऐसे ही पड़े रहेगें । मैं व मेरा चाचाजी श्री रमेश चन्द गाँधी नगर परिषद अलवर के भ्रष्ट पार्षद धर्मपाल तंवर को रिश्वत नहीं देना चाहते रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। परिवादी तरूण गाँधी ने बताया कि पार्षद धर्मपाल तंवर रिश्वत का लेन – देन अपने दलाल श्री दिनेश मलिक भारत बूट हाऊस, अलवर के माध्यम से करता है और वह हमारे से भी रिश्वत की राशि अपने दलाल दिनेश मलिक के मार्फत ही लेगा तथा परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी व मेरे चाचाजी श्री रमेश चन्द गाँधी की श्री धर्मपाल पार्षद वार्ड नं. 14 नगर परिषद अलवर एवं उसके दलाल श्री दिनेश मलिक से कोई रजिंश या दुश्मनी नहीं है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नहीं है । श्री तरूण गाँधी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा लिखा जाना एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी अपने चाचाजी श्री रमेश चन्द गाँधी को भी होना बताया । इस पर परिवादी श्री तरूण गाँधी के चाचाजी श्री रमेश चन्द गाँधी ने पूछने पर उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र अपने भतीजे तरुण गाँधी द्वारा लिखा जाना बताया तथा यह भी बताया कि मैं व मेरा भतीजा तरूण गाँधी पार्षद श्री धर्मपाल को रिश्वत नहीं देना चाहते है तथा उसको रिश्वत लेते हुये को पकडवाना चाहते हैं । मैं वृद्ध हूँ तथा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है । इसलिए मेरी तरफ से भी समस्त कार्यवाही मेरा भतीजा तरुण गाँधी ही करेगा । मैं आगे की कार्यवाही से मुक्त रहना चाहता हूँ । श्री रमेश चन्द गाँधी ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति एवं अपनी पत्नि श्रीमती बिमला आहुजा के नाम से कयशुदा उक्त मकान के बयनामा की छायाप्रतियों पर अपने हस्ताक्षर करके तथा परिवादी श्री तरुण गांधी ने अपने आधार कार्ड व अपनी मम्मी शकुंतला के नाम से कयशुदा उक्त मकान के बयनामा की छायाप्रतियों पर अपने हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किये जिन्हें बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया तथा परिवादी श्री तरूण गाँधी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद अवलोकन श्री रमेश चन्द गाँधी के भी हस्ताक्षर करवाये गये

परिवादी श्री तरूण गाँधी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उक्त दोनों से की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर परिवादी के चाचाजी श्री रमेश चन्द गाँधी को उसके बतायेनुसार अग्रिम कार्यवाही से फारिक किया जाकर गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया । तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री तरूण गोंधी को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि मुझे अभी कोई जरूरी कार्य है और उसमें मुझे समय लगेगा । इसलिए मैं आज श्री धर्मपाल तंवर पार्षद वार्ड नं. 14, नगर परिषद अलवर व उसके दलाल श्री दिनेश मलिक के पास रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करने हेतु नहीं जा सकता तथा मैं कल दिनांक 22.07.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउगा, जिस पर परिवादी श्री तरूण गाँधी को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22.07.2022 को ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया । इसके बाद दिनांक 22. 07.2022 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री तरूण गाँधी अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आया और मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आज सुबह मैं मेरी बर्तनों की दुकान पर था तब मेरे पास पार्षद धर्मपाल तंवर का दलाल श्री दिनेश मलिक मेरी बर्तनों की दुकान पर आया और उसने मेरे से कहा कि पार्षद साहब ने मुझे फोन कर के आपके मामले में बातचीत करने एवं जो लेना – देना है , उसे ले देकर के फ्री करने के लिये कहा है । इसलिए आज पार्षद धर्मपाल तंवर व दलाल दिनेश मलिक से वार्ता कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा । जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी लगाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर परिवादी श्री तरूण गाँधी को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री तरूण गाँधी को हिदायत दी गई कि वह श्री धर्मपाल पार्षद नगर परिषद अलवर एवं उसके दलाल श्री दिनेश मलिक भारत बूट हाऊस अलवर द्वारा आपके व आपके चाचा श्री रमेश चन्द गाँधी के मकान का निर्माण होने तथा नगर परिषद अलवर के दस्ते से निर्माण कार्य को नहीं रुकवाने के सम्बन्ध में उक्त द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा संदिग्ध आरोपीगण से हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें । परिवादी श्री तरूण गाँधी के साथ कार्यालय से श्री महेश कुमार कानि0 को जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत , मांग सत्यापन हेतु परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपीगण को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे । परिवादी व कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया । तत्पश्चात समय 09.30 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 मय परिवादी श्री तरूण गाँधी के ब्यूरों कार्यालय अलवर उपस्थित होकर श्री महेश कुमार कानि0 ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया । तत्पश्चात परिवादी श्री तरूण गाँधी ने बताया कि मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि. रिश्वत मांग सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय अलवर से रवाना होकर बजाजा बाजार अलवर में स्थित पार्षद धर्मपाल तंवर के दलाल दिनेश मलिक की दुकान भारत बूट हाउस के सामने स्थित गली में पहुंचे , जहाँ पर श्री महेश कुमार कानि0 ने मेरे को डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर समय 12.33 पीएम पर सुपुर्द किया , जिसको मैं अपने साथ लेकर पार्षद धर्मपाल तंवर के दलाल दिनेश मलिक की दुकान भारत बूट हाउस पर गया जहां पर श्री दिनेश मलिक दलाल मौजूद मिला जिससे मैंने अपने व अपने चाचाजी रमेश चन्द गाँधी के मालन की गली में निर्माणाधीन मकान के निर्माण कार्य को धर्मपाल पार्षद नगर निगम अलवर अतिक्रमण दस्ते से रुकवाकर निर्माण कार्य में अडचन करने के सम्बन्ध वार्ता की तो पार्षद धर्मपाल तंवर के दलाल दिनेश मलिक ने धर्मपाल तंवर पार्षद के लिये व अपने स्वयं के लिये मेरे से मेरे मकान के निर्माण कार्य में पार्षद धर्मपाल तंवर द्वारा रुकावट नहीं करने की एवज में 50 हजार रूपये रिश्वत की एवं मेरे चाचाजी रमेश चन्द गाँधी के मकान के निमार्ण कार्य में पार्षद द्वारा रुकावट नहीं करने की एवज में 01 लाख रूपये रिश्वत की इस प्रकार कुल 1,50,000 रूपये रिश्वत की मेरे से मांग की तथा मैंने दलाल दिनेश मलिक को पार्षद धर्मपाल से मिलवाने व वार्ता करवाने के लिये कहा तो दलाल दिनेश मलिक ने अपने मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करके पार्षद धर्मपाल तंवर के मोबाईल फोन पर कॉल कर वार्ता की और मेरे आने के बारे में व हमारे काम के बारे में बताया तथा मेरी भी पार्षद धर्मपाल से फोन पर वार्ता करवाई । मैंने पार्षद धर्मपाल को हमारे मकान के निर्माण के बारे में व मलिक से मिलने के बारे में बताया तो धर्मपाल पार्षद ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं मलिक से बात कर लो मलिक कहे जो करना है । मैंने दलाल दिनेश मलिक व धर्मपाल पार्षद से हुई सभी बातों को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया तथा समय करीब 02 घन्टे बाद मैं दलाल दिनेश मलिक की दुकान से निकलकर बाहर आया और मेरी दुकान पर चला गया तथा मेरे पीछे–पीछे श्री महेश कुमार कानि0 भी दिनेश मलिक की दुकान के सामने स्थित चाय की दुकान से उठकर मेरी दुकान पर

आ गया जिनको मैंने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकार्डर दे दिया और महेश कुमार कानि0 ने डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द कर अपने पास रख लिया । इसके बाद मैंने महेश कुमार कानि0 को उक्त तथ्यों के बारे में बताया तथा यह भी बताया था कि भारत बूट हाउस की दुकान के अन्दर दाढी वाले जिस व्यक्ति के साथ बैठकर मैं वार्तालाप कर रहा था वही व्यक्ति पार्षद धर्मपाल तंवर का दलाल दिनेश मलिक है और उसने मेरे को धर्मपाल तंवर पार्षद से शाम को दुकान बढाने के बाद मिलाने के लिये कहा है । इसलिए धर्मपाल तंवर पार्षद से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता शाम उसके घर पर करनी है । मैं व श्री महेश कुमार कानि0 462 मेरी दुकान पर रूक गये तथा शाम को बाजार बन्द होने पर मैने भी अपनी दुकान बन्द की तथा समय करीब 08.22 पी.एम. पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने अपने पास से उक्त डिजिटल बाईस रिकार्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया एवं मेरे को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु दलाल दिनेश मलिक के साथ संदिग्ध आरोपी पार्षद धर्मपाल तंवर के पास उसके मकान पर जाने के लिये रवाना किया जिस पर मैं मेरी स्कूटी से दिनेश मलिक की दुकान पर पहुंचा तब दिनेश मलिक अपनी दुकान बन्द कर अपनी मोटर साईकिल से मेरे साथ हिन्दू पाडा अलवर धर्मपाल तंवर पार्षद के घर पर गया तथा महेश कुमार कानि0 भी हमारे पीछे – पीछे अपनी मोटर साईकिल से पार्षद के मकान के नजदीक पहुंचकर पार्षद के मकान के बाहर रूक गया । मुझे व दलाल दिनेश मलिक को पार्षद धर्मपाल तंवर अपने मकान पर मौजूद मिला जहाँ पर मैंने पार्षद धर्मपाल तंवर व दलाल दिनेश मलिक से हमारे मकानों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की एवं पार्षद धर्मपाल तंवर को दिनेश मलिक द्वारा मेरे मकान निर्माण के 50 हजार रूपये व चाचाजी के मकान निर्माण के 1 लाख रूपये रिश्वत मांगने के बारे में बताया तो पार्षद धर्मपाल तंवर ने कहा कि पैसे की बातचीत आप दिनेश मलिक से करलो और यह जो फाईनल कर ले इसी को दे देना अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी । मेरी श्री धर्मपाल तंवर पार्षद व दलाल दिनेश मलिक से हुई सभी वार्तालाप को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था तथा करीब 50 मिनट बाद में पार्षद धर्मपाल तंवर के घर से श्री महेश कुमार कानि0 के पास आया और मैंने महेश कुमार कानि0 को डिजिटल वाईस रिकार्डर दे दिया जो महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया । इसके बाद मैंने महेश कुमार कानि0 को उक्त तथ्यों के बारे में बताया तथा यह भी बताया था कि जिस मकान के अन्दर मैं व दलाल दिनेश मलिक गये थे वहीं मकान पार्षद धर्मपाल तंवर का है और हम तीनों ने वही पर उक्त वार्तालाप की है । इसके बाद मैं व श्री महेश कुमार कानि0 वहां से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आये हैं । पूछने पर श्री महेश कुमार कानि0 ने परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद की । तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल बाईस रिकार्डर को चालू कर सुना तो उसमें रिकार्ड वार्तालाप से परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई तथा दलाल दिनेश मलिक व पार्षद धर्मपाल तंवर द्वारा परिवादी से 1.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर 1.50 लाख रूपये रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत होना पाया गया। उक्त रिकार्डशुदा बार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय की आलमारी के लॉक में रखा गया । इसके बाद समय 11.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री तरूण गाँधी को संदिग्ध आरोपीगंण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1.50 लाख रूपये अपने साथ लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23.07.2022 को समय 07.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से मसकन के लिये रवाना किया गया, तत्पश्चात उक्त कार्यवाही के समस्त हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिब्यूरों, अलवर को अर्ज कर मुनासिब दिशा निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही में इमदाद हेतु ए. सी. बी. चौकी अलवर प्रथम, अलवर से श्री प्रेमचन्द पुलिस निरीक्षक, श्री भौरलाल हैड कानि0 33, श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 , श्री रामसिंह कानि0 549 , श्री हरीश चन्द कानि0 503 एवं श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को दिनांक 23.07.2022 को समय 7.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय अलवर द्वितीय अलवर पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया । इसके बाद दिनांक 23. 07.2022 को समय 07.30 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री तरूण गाँधी एसीबी कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं संदिग्ध आरोपीगण श्री धर्मपाल पार्षद एवं दिनेश मलिक दलाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,50,000 रूपये अपने साथ लेकर आया हूँ । तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा खनि अभियन्ता अलवर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को पत्र जारी कर गोपनीय कार्यवाही हेतु एक–एक सरकारी कर्मचारी स्वतन्त्र गवाह अविलम्ब उपलब्ध करवाने हेतु अवगत करवाया गया। जिस पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर से श्री शुभम शर्मा कनिष्ठ सहायक एवं कार्यालय खनि अभियन्ता अलवर से श्री दिपेश सैनी कनिष्ठ सहायक तलब शुदा स्वतन्त्र गवाह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान का आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री तरुण गाँधी से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री तरूण गाँधी द्वारा दिनांक 21.07.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई तत्पश्चात परिवादी श्री तरूण गाँधी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाह श्री शुभम शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री दिपेश सैनी कनिष्ठ सहायक के समक्ष एवं परिवादी श्री तरूण गाँधी की उपस्थिति में परिवादी श्री तरूण गाँधी तथा संदिग्ध आरोपी पार्षद धर्मपाल तंवर के

दलाल श्री दिनेश मलिक के मध्य एवं संदिग्ध आरोपी श्री धर्मपाल तंवर पार्षद वार्ड नं. 14 नगर परिषद अलवर के मध्य दिनांक 22.07.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकाला जिसके फोल्डर नं0 1 में परिवादी व उपरोक्त संदिग्ध आरोपीगण की उक्त वार्ता रिकार्ड है को विभागीय लेपटॉप में जोड़कर चालूकर सुना व सुनाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, जिसमें परिवादी श्री तरूण गाँधी द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी पार्षद धर्मपाल तंवर के दलाल दिनेश मलिक एव श्री धर्मपाल तंवर पार्षद की आवाज की पहचान की गई । उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया । वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना, सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर कमश तीनों सीडीयों पर मार्क –ए–1, ए–2, ए–3 अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री तरूण गाँधी के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ए–1 व ए–2 को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक – पृथक सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ए–1 ए–2 अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया तथा सीडी मार्क ए–3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की सीडीयां बनाई जाने में किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नहीं की गई । उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी में रिकार्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छाट नहीं की गई। सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 को प्रभारी चौकी मालखाना को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 3.00 पीएम पर गवाह श्री शुभम शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री दिपेश सैनी कनिष्ठ सहायक के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री तरूण गांधी को संदिग्ध आरोपी श्री धर्मपाल तंवर पार्षद वार्ड नं. 14 नगर परिषद अलवर एवं उसके दलाल श्री दिनेश मलिक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री तरूण गाँधी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 300 नोट कुल 1,50,000 –रूपये ( 100–100 नोटों की तीन गिड्डी ) निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाये गये तथा राम सिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी जाकर कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर 1,50,000 /–रूपये के नोटों की तीनों गिड्डयों को रखकर उक्त नोटों की तीनों गिड्डियों पर बारी–बारी से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया तथा परिवादी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी नोटों को अखबार में लिपटवाकर ही प्राप्त करेगे। इस पर एक अखबार के पृष्ठ पर एवं एक सफेद कपड़े की थैली पर भी श्री रामसिंह कानि0 549 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर पाउडरयुक्त नम्बरी नोटो को अखबार में लिपटवाकर उन्हें उक्त सफेद रंग की कपड़े की थैली में रखवाये गये तथा परिवादी श्री तरुण गाँधी की जामा तलाशी गवाह श्री दिपेश सैनी से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज / राशि / वस्तु नही रहने दी गयी । केवल उसका मोबाईल व गाडी की चॉबी ही रहने दिया गया । तत्पश्चात फिनोफथलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोटों की थैली को श्री राम सिंह कानि0 549 से परिवादी श्री तरूण गाँधी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाया गया तथा श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया, उस अखबार को जलवाया गया । उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि0 549 की फिनोफथलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री तरूण गाँधी एवं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपीगण उक्त पाऊडर लगे नोटों को छूयेगे तो उनके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उनके हाथ धुलवाने पर घोवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उन्होंने रिश्वती राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है । इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोवन को बाहर फिंकवाया गया । तत्पश्चात परिवादी श्री तरूण गाँधी को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें ,इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस – पास रहकर परिवादी व आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें । तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 के दोनों हाथ साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये तथा परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैंने भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीया मय ढक्कन,, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया, इसके बाद वक्त लेन–देन के

समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप रिकार्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 22.07.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा बार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड सेनडिक्स 16 जीबी लगा हुआ को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री तरूण गाँधी को सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की गई। इसके बाद समय 04.15 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस , मय श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री शुभम शर्मा , श्री दिपेश सैनी एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री भौरेलाल हैड कानि0 33 , रामजीत कानि0 206 , निहाल सिंह कानि0 595 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर एक प्राईवेट वाहन व दो मोटर साईकिलो से तथा परिवादी श्री तरूण गाँधी एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी स्कूटी से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजाजा बाजार , अलवर स्थित संदिग्ध आरोपी दलाल श्री दिनेश मलिक भारत बूट हाउस की दुकान के लिये रवाना हुआ तथा साथ ही श्री प्रेमचन्द , पुलिस निरीक्षक मय श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50. श्री हरीश चन्द कानि0 503 , श्री राजवीर कानि0 443 एवं श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 के मय एक प्राईवेट वाहन व एक मोटर साईकिल के कार्यवाही के दौरान संदिग्ध आरोपी श्री धर्मपाल तंवर पार्षद वार्ड नं. 14 नगर परिषद अलवर को डिटेन करने हेतु अवगत करवाकर रवाना पार्षद धर्मपाल तंवर के निवास हिन्दू पाडा अलवर के लिये किया गया तथा श्री राम सिंह कानि0 549 को कार्यालय में ही छोड़ा गया । ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 05.00 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के अलवर शहर स्थित होप सर्कस के पास पहुंचा जहाँ पर वाहनों को साईड में खड़ा करवाया तथा परिवादी श्री तरूण गाँधी ने बताया कि मैंने धर्मपाल तवर पार्षद के दलाल श्री दिनेश मलिक की उपस्थिति के बारे में मालूम किया तो दलाल श्री दिनेश मलिक अभी अपनी दुकान भारत बूट हाउस पर मौजूद नहीं है । इसलिए मैं अभी मेरी दुकान पर चला जाता हूँ और जब भी दलाल दिनेश मलिक अपनी दुकान भारत बूट हाउस पर आयेगा , तब मैं रिश्वत की राशि देने के लिये उसकी दुकान पर चला जाउगा । इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री तरूण गाँधी व श्री महेश कुमार कानि0 को परिवादी की स्कूटी से बजाजा बाजार अलवर स्थित परिवादी की दुकान बालाजी बर्तन भण्डार के लिये रवाना किया तथा श्री महेश कुमार कानि0 को निर्देश दिये गये कि जब भी संदिग्ध आरोपी दलाल दिनेश मलिक अपनी दुकान पर आये तो मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करावे तथा साथ ही मन उप अधीक्षक पुलिस व श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी सभी को वाहनों से उतार कर अपने साथ लेकर रवाना होकर बजाजा बाजार अलवर स्थित संदिग्ध आरोपी दलाल दिनेश मलिक की दुकान भारत बूट हाउस / फुटवेयर के पास पहुंच कर उक्त दुकान पर निगरानी रखते हुये अपनी – अपनी उपस्थिति छुपाते हुये बाजार में अन्य दुकानो पर खड़े होकर सामान देखने लग गये । इसी दौरान श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि संदिग्ध आरोपी दलाल श्री दिनेश मलिक अपनी दुकान भारत बूट हाउस / फुटवेयर पर आ गया है और वह अभी दुकान पर ही मौजूद है । इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस पास ही स्थित परिवादी की दुकान बालाजी बर्तन भण्डार पर पहुंचकर समय करीब 06.07 पीएम पर श्री महेश कुमार कानि0 462 से परिवादी को सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी तरूण गाँधी को संदिग्ध आरोपी दलाल श्री दिनेश मलिक उसकी दुकान भारत बूट हाउस / फुटवेयर पर रिश्वत राशि देने के लिये रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेपपार्टी के परिवादी पर नजर रखते हुये मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये भारत बूट हाउस की दुकान के इर्द–गिर्द परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ । तत्पश्चात गवाह श्री शुभम शर्मा व श्री दिपेश सैनी कनिष्ठ सहायक के समक्ष समय 6.24 पी.एम. पर परिवादी श्री तरूण गाँधी ने बजाजा बाजार अलवर में स्थित भारत फुटवेयर की दुकान से अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया एवं ईशारा कर वापस दुकान के अन्दर चला गया । जिसको देखकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम के सदस्यों सहित उक्त दुकान में प्रवेश किया तो उक्त दुकान के अन्दर दुकान के अन्तिम छोर की सामने की दीवार के पास रखी हुई दो कुर्सीयों पर परिवादी श्री तरूण गाँधी एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठा हुआ तथा अपने पास ही बैठे हुए व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ से नोटों की थैली उस व्यक्ति को देता हुआ दिखाई दिया । परिवादी के पास बैठे हुए व्यक्ति ने मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं ब्यूरो टीम को दुकान के अन्दर अपनी तरफ आते हुए देखकर परिवादी से यह कहते हुए कि मेरा इससे क्या लेना देना मेरे को क्यों दे रहे हो । " नोटो की थैली को नही लिया । इस पर परिवादी ने नोटो की थैली को अपनी कुर्सी पर रख दिया । इस पर मन् उप अधीक्षक ने परिवादी श्री तरूण गाँधी को रिश्वत राशि दिये बिना ही अपने सिर पर हाथ फेरने का ईशारा क्यों करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि साहब मेरे सिर में पसीना आने के कारण मै उसको पूछ रहा था , इसलिये मेरे से गलती से ईशारा हो गया । परिवादी से ब्यूरो का डिजीटल वॉइस प्राप्त कर उसे बंद करके अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के पास बैठे हुए व्यक्ति को अपना एवं ब्यूरो की ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश मलिक पुत्र स्व0 श्री ऋषि लाल मलिक निवासी 3 क 13 मनुमार्ग हाऊसिंग बोर्ड अलवर तथा भारत फुटवेयर बजाजा

बाजार अलवर की दुकान का स्वयं के द्वारा संचालन करना बताया । श्री दिनेश मलिक से दिनांक 22.7.2022 को परिवादी से 1.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि उसके निर्माण कार्य को करने देने की एवज में श्री धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद वार्ड नं0 10 नगर परिषद अलवर के लिये मांग करने एवं आज दिनांक 23.7.2022 को श्री तरूण गाँधी का उसकी दुकान पर आने के बारे में पूछा तो श्री दिनेश मलिक ने बताया कि दिनांक 22.7.2022 को श्री तरूण गाँधी मेरे से दिन मे 4–5 बार मिला था । यह कल रात्री मे करीबन 8 बजे मेरे पास दुकान पर आया था और इसने कहा था कि मेरी बेटी पास हुई है । जिसकी खुशी मे मेरी मम्मी ने आपको आम भेजे है और मुझे श्री धर्मपाल सिंह वार्ड पार्षद को भी आम देने है तो आप साथ में चलो इस पर मैं इसको अपने साथ लेकर श्री धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद नगर परिषद अलवर के निवास स्थान जो हिन्दु पाडा में है वहां पर लेकर गया था । जहाँ पर श्री धर्मपाल सिंह तंवर मौजूद मिले थे । वहां पर हमने चाय पी और वहां से आ गये । फिर कुछ सोचकर बताया कि तरुण गाँधी ने वहां पर मेरे से कहा कि मैं स्क्रेप बेचकर आया हूँ कुछ रूपये दे दूं । इस पर मैंने कहा कि किस बात के है और मैंने कोई पैसे नहीं लिये में इसके कोई पैसे नहीं मांगता हूँ और ना ही मैने इससे कभी भी आज दिनांक तक पैसो का लेन देन किया है । वहीं पर इसके एवं वार्ड पार्षद के बीच भी कोई पैसों की बातचीत नहीं हुई थी । वहां से हम दोनो साथ साथ निकल कर आये तथा यह अपने घर चला गया और मै अपने घर चला गया । आज अभी कुछ देर पहले यह मेरे पास दुकान पर आया और मेरे पास आकर बैठ गया । तब मैने इससे कहा कि भाई तू कल पैसे क्यों दे रहा था । यह कुछ नहीं बोला । उसके बाद इसने अपनी दुकान से हमारी दुकान पर अपने मोबाईल का चार्जर मंगवाया और अपने मोबाईल को चार्ज लगाने हेतु दुकान के काउण्टर पर जाकर अपना मोबाईल चार्ज के लगाकर वापस आकर मेरे पास बैठ गया । तब इसने आप लोगो को मेरी दुकान में आते हुए देखकर अपने पास से एक थैली में लिपटे हुए कुछ नोट निकाल कर देने लगा तो मैंने इससे कहा कि क्या है तो इसने कहां कि डेढ़ लाख रूपये है । इस पर मैने कहा मेरे को क्यों दे रहे हो , मेरा इनसे क्या लेना देना मुझे क्यों दे रहे हो । इतने में ही आप लोग हमारे पास आ गये । मैंने इससे कोई पैसे ना तो मांग और ना ही लिये है । इस पर तरूण गाँधी ने स्वतः ही बताया कि साहब यह झूठ बोल रहा है । मैने एवं मेरे चाचाजी श्री रमेश चन्द गाँधी ने अपने क्रयशुदा पूराना मकान को तोड़कर उस पर नया निर्माण काम चालू किया था जिस पर वार्ड नं0 14 के पार्षद धर्मपाल सिंह तंवर ने कार्यस्थल पर आकर काम को रोकने के लिये कहा तथा काम चालू रखने की एवज में डेढ़ लाख रूपये रिश्वत की मांग की । हमारे द्वारा उसके कहने पर काम नहीं रोका और उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि नही दी तो उसने नगर परिषद अलवर के अतिक्रमण अधिकारी को कार्यस्थल पर भेजकर हमारा सामान उठवा लिया । इस पर मैने इन भारत फुटवेयर दुकानदार श्री दिनेश मलिक से इस बारे में बातचीत की तो इन्होने धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद से मेरी मुलाकात करवाने तथा उससे इस बारे में बातचीत करवाने को कहा । मै धर्मपाल सिंह तंवर एवं इस दिनेश मलिक को रिश्वत नहीं देना चाहता था और इन्हें मेरे से रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता था । इसलिये मैंने अपने चाचाजी के साथ दिनांक 21.07 2022 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर इस बाबत एक रिपोर्ट लिखकर दी । कल दिनांक 22.7.2022 को रात्री के करीब 8 बजे मैं आपके कार्यालय के कर्मचारी के साथ बजाजा बाजार अलवर गया । जहां पर आपके कर्मचारी श्री महेश जी ने मुझे अपने पास से एक छोटा टेप चालू करके दिया और में इस दिनेश मलिक की दुकान पर गया तथा इसे अपनी बेटी के पास होने की खुशी में आम दिये और मैने इस दिनेश मलिक को धर्मपाल सिंह तवंर वार्ड पार्षद से रिश्वत के बारे में बातचीत करने के लिये जाने के कारण इनको पार्षद को आम देने एवं हमारी बातचीत करवाने के लिये इस दिनेश मलिक को लेकर धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद के घर गये । जहां पर मैने इस दिनेश मलिक को हमारे निर्माण कार्य को चालू करवाने के बारे मे धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद से बातचीत करवाने को कहा । इस पर दिनेश मलिक ने उससे हमारे निर्माण कार्य के बारे में बातचीत की तो धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद ने मुझे कहा कि जैसे मलिक कहे वैसे कर लेना । इस पर मैने धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद के सामने ही इस दिनेश मलिक से बातचीत की तो इन्होने धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद के सामने ही मेरे से हमारे निर्माण कार्य को चालू करवाने एवं उसमे आइन्दा कोई रुकावट पैदा नहीं करने के लिये मेरे से डेढ़ लाख रूपये रिश्वत की मांग की । मैने मेरे एवं धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद तथा इस दिनेश मलिक के मध्य उस समय हुई वार्ताओं को अपने पास रखे हुए टेप मे रिकॉर्ड कर लिया । उसके बाद हम दोनो धर्मपाल सिंह तंवर वार्ड पार्षद के मकान से आये तथा यह दिनेश मलिक अपने घर चला गया और मैनें आपके कार्यालय कर्मचारी महेश कुमार को टेप बंद कर दे दिया और महेश कुमार को आपके कार्यालय में छोड़कर मैं अपने घर चला गया । आज मैं इसी क्रम में अपने साथ डेढ लाख रूपये लेकर आया आपको पेश किया और आपने उन नोटो पर पाऊडर लगा कर मुझे दिये । मैं उन नोटो को लेकर अभी कुछ देर पहले इस दिनेश मलिक के पास इस दुकान पर आया तब इसने मुझे कहा कि आपको कल पार्षद के सामने पैसों के बारे में बातचीत करने की क्या जरूरत थी पार्षद का कल बाद मे रात्रि में मेरे पास फोन आया था तो वो मुझे डाट रहे थे । इसी दौरान दुकान के अन्दर उमस एवं गर्मी होने के कारण मेरे सिर पर पसीने आ गये तो मैं अपने सिर पर हाथ फेरकर उनको पोंछने के कारण मेरे से

आपको गलती से रिश्वत राशि देने का ईशारा हो गया । मैं इस दिनेश मलिक को अपने पास से पाऊडर लगे नोटों की थैली को निकालकर दे ही रहा था कि इतने में आप लोग दुकान के अन्दर आते हुए दिखाई दिये तो इस दिनेश मलिक ने मेरे से अपने द्वारा मांगी गई डेढ लाख रूपये की रिश्वत राशि नहीं ली । मैने नोटो की थैली को कुर्सी पर रख दिया । तत्पश्चात भारत फुटवेयर की दुकान के अन्दर रखी हुई कुर्सी पर एक सफेद रंग की थैली रखी हुई गवाह श्री शुभम शर्मा से उठवाकर उसको चैक करवाया तो उक्त थैली के अन्दर एक अखबार में लिपटी हुई 500–500 रूपये की तीन गड्डी रखी हुई पाई गई । जिसको उक्त गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया । इस पर परिवादी से प्राप्त किये गये वॉइस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई। मौका घटना स्थल व्यस्ततम बाजार होने से दुकान पर लोगों की आवाजाही होने के कारण मन उप अधीक्षक पुलिस ने हालात उच्चाधिकारीगण को निवेदन कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करके मौके से श्री दिनेश मलिक परिवादी श्री तरूण गाँधी दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर तथा साथ ही दूसरी टीम के प्रभारी श्री प्रेमचन्द पुलिस निरीक्षक को हमराही स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय अलवर प्रथम अलवर पर पहुंचने के लिये निर्देशित कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो कार्यालय अलवर प्रथम अलवर पर आया तथा साथ ही श्री प्रेमः चन्द पुलिस निरीक्षक भी हमराही ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के हाजिर आये । मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री दिनेश मलिक को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा दोनों गवाहान परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री दिनेश मलिक के समक्ष अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई तथा मौके पर गवाह श्री शुभम शर्मा के पास रखवाई हुई नोटों की थैली में रखे हुए नोटो को गिनकर एवं नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में कार्यालय में तैयार करवाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से करने हेतु कहा तो दोनो गवाहान ने थैली में रखे हुए नोटों को गिनकर उसमें 500–500 रूपये की तीन गड्डी कुल तीन सौ नोट राशि 1.50 लाख रूपये होना तथा उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से हूबहू होना पाये गये उक्त नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित किया जाकर परिवादी एवं श्री दिनेश मलिक को आमने सामने करके पूछा गया तो दोनो ने आपसी कोई रंजिश या द्वेषता नहीं होना तथा रूपयों का पूराना कोई लेन–देन बकाया नहीं होने एवं आपस में रूपयो का आज दिनांक तक कोई लेन देन नहीं करना बताया है । चूंकि परिवादी श्री तरूण गाँधी द्वारा रिश्वत राशि दिये बिना ही ट्रेप पार्टी व मन उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जाने से तथा ट्रेप पार्टी के मौके पर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी श्री दिनेश मलिक के पास पहुंच जाने के कारण रिश्वत राशि का लेन देन व आदान प्रदान नहीं हो पाया जाने से कार्यवाही को वहीं रोकते हुये परिवादी द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु पेश किये गये 1.50 लाख रूपये की राशि वापस परिवादी को लौटाई गई । बाद कार्यवाही श्री दिनेश मलिक को चुस्त दुरुस्त एवं स्वस्थ्य हालात में उपस्थित आये उसके साले श्री जितेन्द्र अरोडा पुत्र श्री प्रेम कुमार अरोडा निवासी 322 स्कीम नं. 02 अलवर मोबाईल नं . 9414017051 को सुपुर्द कर कार्यालय से रवाना किया गया । उक्त तथ्यों के अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई । समस्त कार्यवाही की फर्द घटनाक्रम एवं बरामदगी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गवाह श्री शुभम शर्मा व श्री दिपेश सैनी कनिष्ठ सहायक के समक्ष परिवादी श्री तरूण गाँधी की उपस्थिति में परिवादी श्री तरूण गाँधी एवं आरोपी श्री धर्मपाल तंवर पार्षद के दलाल श्री दिनेश मलिक , भारत बूट हाउस अलवर के मध्य दिनांक 23.07.2022 को रिश्वती लेन–देन के कम में हुई रूबरू वार्ताओं के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर परिवादी श्री तरूण गाँधी तथा आरोपी श्री धर्मपाल तंवर पार्षद के दलाल श्री दिनेश मलिक भारत बूट हाउस / फुटवेयर के मध्य रिश्वत लेन–देन के कम में हुई रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई । तथा उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री तरुण गाँधी द्वारा अपनी व आरोपी श्री धर्मपाल तंवर पार्षद के दलाल श्री दिनेश मलिक भारत हाउस / फुटवेयर अलवर की आवाज की पहचान की गई । उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया तत्पश्चात उक्त वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की लैपटाप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडीयां तैयार की जाकर , बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर सीडीयो पर क्रमश मार्क बी–1,बी–2, बी–3 अंकित किया गया तथा मार्क शुदा सीडीयों पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क शुदा सीडी– बी –1 बी –2 को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपड़े की थैलियों में रखकर थेलियों पर भी मार्का बी –1 , बी –2 अंकित किया जाकर सिलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी तरूण गांधी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी बी –3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर रखा गया। उक्त कार्यवाही में उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी के फोल्डर नं0 01 में रिश्वत माँग सत्यापन दिनांक 22.07.2022 को हुई वार्तालाप रिकॉर्ड की हुई तथा फोल्डर नं0 03 में रिश्वत लेन–देन

के क्रम में दिनांक 23.07.2022 को हुई वार्तालाप रिकार्ड की हुई होने से उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी को सुरक्षित हालात में यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर संबंधितो परिवादी, दोनो गवाहान एवं मन् ट्रेप अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर उसे एस.डी मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी में सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपड़े की थैली में सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क–एस, अंकित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया । उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की सीडी बनाई जाने में किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं काट–छांट नहीं की गई । इसके बाद दिनांक 24.07.2022 को समय 01.15 एएम पर ट्रैप कार्यवाही में परिवादी श्री तरूण गाँधी एवं गवाहान से सम्बन्धित कोई कार्यवाही शेष नही होने से परिवादी श्री तरूण गाँधी एवं दोनों गवाहान को मौका ब्यूरो कार्यालय अलवर प्रथम , अलवर से रवाना मशकन के लिए किया गया तथा समय 01.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा एसीबी चौकी अलवर प्रथम , अलवर के स्टाफ सर्व श्री प्रेम चन्द पुलिस निरीक्षक, श्री भौरे लाल हैड कानि0 33. श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 , श्री हरीश चन्द्र कानि0 503 , श्री महेश कुमार कानि0 462 एवं श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को कार्यवाही से फारिक कर जाय तैनाती एसीबी चौकी अलवर प्रथम अलवर पर उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाब्ता श्री राजवीर कानि0 443 , श्री रामजीत कानि0 206 एवं श्री निहाल सिंह कानि0 595 के मय ट्रैप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त / सील्ड शुदा आर्टिकल्स के हमराह लाये वाहनों से बाद कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय अलवर प्रथम अलवर से रवाना होकर समय 02.00 एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय अलवर पहुंचा तथा बजह सबूत को जमा चौकी मालखाना करवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स को कार्यालय में रखवाया गया तथा श्री राम सिंह कानि0 549 को जाय तैनाती ए0सी०बी० चौकी अलवर प्रथम अलवर के लिये रवाना किया गया ।

इस प्रकार की गई समस्त कार्यवाही एवं मौके के हालात आदि रिकार्ड से आरोपी श्री धर्मपाल तंवर पार्षद वार्ड नं0 14 नगर परिषद अलवर द्वारा अपने दलाल श्री दिनेश मलिक पुत्र श्री ऋषि लाल मलिक निवासी 3–क–13 मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड अलवर दुकान मालिक भारत बूट हाउस / फुटवेयर बजाजा बाजार अलवर के माध्यम से परिवादी श्री तरूण गाँधी से मालन की गली सिद्धीपुरा मौहल्ला वार्ड नं0 14 , अलवर में परिवादी व परिवादी के चाचा श्री रमेश चन्द गाँधी के निर्माणाधीन मकान के निर्माण कार्य को नगर परिषद अलवर के दस्ते से नहीं रुकवाने एवं मकान निर्माण कार्य को होने देने की एवज में परिवादी श्री तरूण गाँधी के मकान निर्माण कार्य होने देने के लिये 50 हजार रूपये एवं परिवादी के चाचा श्री रमेश चन्द गाँधी के मकान निर्माण कार्य को होने देने के लिये 1 लाख रूपये इस प्रकार कुल 1.50 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करने तथा दिनांक 23.07.2022 को परिवादी द्वारा आरोपी दलाल दिनेश मलिक को उसके द्वारा तय की गई स्वयं व पार्षद के लिये तयशुदा रिश्वत राशि 1.50 लाख रूपये देने के दौरान आरोपी को रिश्वत राशि देने / मांगने से पूर्व ही परिवादी द्वारा गलती से ट्रेपपार्टी को निर्धारित ईशारा करने पर तथा ट्रेप पार्टी के आरोपी दिनेश मलिक की दुकान पर पहुंचने से आरोपी दलाल दिनेश मलिक द्वारा ट्रेप पार्टी को अपनी दुकान के अन्दर आता हुआ देखकर परिवादी से मांगी गई रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करना पाया गया है।

अतः श्री धर्मपाल तंवर पुत्र श्री छाजू राम तंवर उम्र 56 वर्ष निवासी हिन्दु पाडा अलवर हाल पार्षद वार्ड नं0 14 नगर परिषद् अलवर एवं उसके दलाल श्री दिनेश मलिक पुत्र श्री ऋषि लाल मलिक निवासी 3–क–13 मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड अलवर, दुकान मालिक भारत बूट हाउस / फुटवेयर बजाजा बाजार अलवर (प्राईवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7.7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित ) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा0दं0सं0 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री धर्मपाल तंवर पुत्र श्री छाजूराम निवासी हिन्दु पाडा अलवर हाल पार्षद वार्ड नम्बर 14 नगर परिषद जिला अलवर 2. श्री दिनेश मलिक पुत्र श्री ऋषि लाल मलिक, (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी 3-के-13, मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड अलवर, दुकान मालिक भारत बूट हाउस/फुटवेयर बाजाजा बाजार अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 337/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2944-48 दिनांक 30.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

30.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।